न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ

पीठासीन अधिकारी – हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- टी.ए. 68/2022

पंजीयन दिनांक :- 19.10.2022

1. बंसतीबाई बेवा गणेशपुरी जाति गुसाई निवासी अरनोद तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़
2. धापुबाई पुत्री गणेशपुरी जाति गुसाई निवासी अरनोद तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़
3. भुली पुत्री गणेशपुरी जाति गुसाई निवासी अरनोद तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़
4. शकु पुत्री गणेशपुरी जाति गुसाई निवासी अरनोद तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़

–अपीलान्टगण

बनाम

1. जिला कलक्टर तहसील व जिला प्रतापगढ़
2. तहसीलदार तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अरनोद
प्रकरण संख्या 29/2021 प्रार्थना पत्र निर्णय एवं आदेश दिनांक 03.08.2022

उपस्थित वक्त बहस 1. अजय कुमार पिछोलिया- अधिवक्ता अपीलान्टगण
2. पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण

निर्णय **दिनांक :- 31.01.2023**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अपीलान्ट प्रार्थी ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मोजा गौतमेश्वर तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़ की खाता सं. 168 मे दर्ज आराजी नम्बर 156 रकबा 0.33 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 287 रकबा 0.18 हैक्टेयर अवस्थित है जो कदीम से अपीलान्टगण प्रार्थीगण के पिता व पति गणेशपुरी निवासी अरनोद के खाते बहैसियत महन्त स्थान गौतमेश्वर दर्ज थी। उक्त कृषि आराजीयात गणेशपुरी के पूर्वजो को तत्कालीन रियासत द्वारा स्थान गौतमेश्वर के छोटे महन्त के रूप मे पुजनार्थ दे रखी थी। अपीलान्टगण प्रार्थीगण उनके वारिसान है। उक्त कृषि आराजीयात पर अपीलान्टगण प्रार्थीगण ही कदीम से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। रेस्पोडेन्ट सं. 2 विपक्षी सं. 2 ने अपीलान्टगण प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बगैर वादग्रस्त कृषि आराजीयात मे से अपीलान्टगण प्रार्थीगण के पिता गणेशपुरी का परिपत्र दिनांक 13.12.1991 का सहारा लेकर हटाया गया इस दौरान महन्त गणेशपुरी

का देहान्त हो गया। तब से अपीलान्टगण प्रार्थीगण ही वादग्रस्त कृषि आराजीयात का प्रबन्ध करते चले आ रहे है। वादपत्र व प्रार्थना पत्र के लम्बित रहने के दौरान ही रेस्पोडेन्ट सं. 2 ने अपीलान्टगण को नोटिस अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत अपीलान्ट सं. 2 धापुबाई पुरी प्रार्थी अपीलान्ट सं. 2 को दिनांक 11.06.2021 को देकर उक्त कृषि आराजीयात खाली करने को कहा गया। रेस्पोडेन्ट सं. 2 विपक्षी को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि मूलवाद के निस्तारण तक मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अपीलान्टगण प्रार्थीगण की ओर से निवेदन किया गया कि मन्दिर की कृषि आराजीयात से अतिक्रमण के मामलो मे पुजारियो की बेदखली नही की जाती है। पुजारियो को खातेदारो को प्राप्त कई सुविधाओ का लाभ प्राप्त होता है। उभयपक्षो को सुना जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलान्टगण प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अपीलान्टगण प्रार्थीगण के पक्ष मे प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का नही होना मानते हुए निरस्त किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलान्टगण प्रार्थीगण ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील म्याद बाहर प्रस्तुत की।

इस न्यायालय मे अपीलान्टगण प्रार्थीगण की ओर से रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण के विरूद्ध अपील प्रस्तुत होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण जरिये सम्मन नोटिस तलब किये गये। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 विपक्षीगण जरिये राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अपीलान्टगण प्रार्थीगण ने इस न्यायालय मे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 03.08.2022 के विरूद्ध दिनांक 19.10.2022 को प्रथम अपील प्रस्तुत की जो म्याद बाहर होने से अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम, 1963 मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

अपीलान्टगण प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम, 1963 मय शपथ पत्र ने वर्णित तथ्य विश्वसनीय व स्वीकार योग्य होना मानते हुए अपीलान्टगण की ओर से प्रस्तुत अपील अन्दर म्याद ली जाती है।

अधिवक्ता अपीलान्टगण प्रार्थीगण ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलान्टगण प्रार्थीगण ने रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण के विरूद्ध नोजा गौतमेश्वर की जमाबन्दी मे दर्ज आराजी नम्बर 156 व आराजी नम्बर 287 मीन के सम्बन्ध मे वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त कृषि आराजीयात पूर्व मे महन्त गणेशपुरी को पुजनार्थ दे रखी थी। राजस्व रेकार्ड से गणेशपुरी का नाम विलोपित किया जाकर मन्दिर गौतमेश्वरजी स्थानदेह के नाम दर्ज कर दी जिससे अपीलान्टगण प्रार्थीगण का घोषणा का

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे विचाराधीन रहते हुए रेस्पोडेन्ट सं. 2 विपक्षी सं. 2 ने दिनांक 11.06.2021 को आराजी नम्बर 156 से बेदखल किये जाने का नोटिस जारी किया, जिससे अपीलान्टगण प्रार्थीगण की ओर से रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण के विरूद्ध दिनांक 23.06.2021 को अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण की ओर से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया व दस्तावेज राज्य सरकार के द्वारा जारी अधिसूचना की फोटो प्रति प्रस्तुत की। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने उभयपक्षो को सुना जाकर अपीलान्टगण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र गलत तथ्यो के आधार पर निरस्त किया है। उक्त कृषि आराजीयात आराजी नम्बर 156 व आराजी नम्बर 287 मीन कदीम से अपीलान्टगण प्रार्थीगण के पिता गणेशपुरी पिता ऊंकारपुरी गुसाई के खाते मे बहैसियत महन्त स्थान गौतमेश्वर दर्ज रही है। उक्त कृषि आराजीयात गणेशपुरी के पूर्वजो को तत्कालीन रियासत द्वारा स्थान गौतमेश्वर के छोटे महन्त के रूप मे पुजनार्थ दे रखी थी, फिर भी उक्त कृषि आराजीयात को गलत रूप से नामान्तकरण सं. 79 स्वीकृत दिनांक 21.05.1993 को मन्दिर श्री गौतमेश्वरजी स्थान देह के नाम दर्ज कर दी। मन्दिर के नाम दर्ज होने व मन्दिर मूर्ति शास्वत नाबालिग होना अपीलान्टगण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होना एवं प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति अपीलान्टगण प्रार्थीगण के पक्ष मे नही होना मानते हुए निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया है, जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि विवादग्रस्त कृषि आराजीयात वर्तमान मे गौतमेश्वरजी स्थान देह के नाम दर्ज रेकार्ड है। गौतमेश्वरजी नाबालिग मूर्ति होकर शास्वत नाबालिग है। अपीलान्टगण का यह कथन कि उक्त कृषि आराजीयात पूर्व मे गणेशपुरी के पूर्वजो को तत्कालीन रियासत द्वारा स्थान गौतमेश्वर के छोटे महन्त के रूप मे पुजनार्थ दे रखी थी। अपीलान्टगण प्रार्थीगण गणेशपुरी के वारिसान है। उक्त तथ्यो को अपीलान्टगण प्रार्थीगण ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे किसी भी दस्तावेज से साबित नही करवाया है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने विवादग्रस्त कृषि आराजीयात गौतमेश्वरजी स्थान देह के खातेदारी मे दर्ज रेकार्ड होना मानते हुए व अपीलान्टगण प्रार्थीगण को उक्त कृषि आराजीयात के दस्तावेजी साक्ष्यो से पुजारी / सेवायत प्रमाणित नही होना मानते हुए अपीलान्टगण प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दु अपीलान्टगण प्रार्थीगण के विरूद्ध व रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण के पक्ष मे होना मानते हुए निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 03.08.2022 को विधिसम्मत होना मानते हुए अपीलान्टगण प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

हमने उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओ की ओर से प्रस्तुत बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्टगण प्रार्थीगण ने रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र के साथ नकल जमाबन्दी संवत् 2074-2077 प्रस्तुत की जिसमे मोजा गौतमेश्वर की आराजी नम्बर 156 रकबा 0.33 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 287 रकबा 0.18 हैक्टेयर कृषि आराजीयात मन्दिर गौतमेश्वरजी स्थान देह के नाम दर्ज रेकार्ड है। उक्त कृषि आराजीयात के सम्बन्ध मे अपीलान्टगण प्रार्थीगण ने पुजनार्थ अपने पूर्वज गणेशपुरी को देना बताते हुए व अपीलान्टगण प्रार्थीगण गणेशपुरी के वारिसान होना बताते हुए वादपत्र व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने उभयपक्षकारान को सुना जाकर विवादित कृषि आराजीयात मूर्ति नाबालिग श्री गौतमेश्वरजी स्थान देह के नाम दर्ज होना व उन्ही के कब्जे काश्त मे होना मानते हुए अपीलान्टगण प्रार्थीगण के पक्ष मे प्रथम दृष्टया मामला नही होना सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण के पक्ष मे होना मानते हुए अपीलान्टगण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त किया है। अपीलान्टगण प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया जिससे वे मन्दिर के पुजारी व सेवायत सिद्ध हो सके। अपीलान्टगण प्रार्थीगण विवादित कृषि आराजीयात मे क्या अधिकार रखते है यह तथ्य मूलवाद मे साक्ष्य व सबूत से ही तय किये जा सकते है। उक्त तथ्यो के निर्धारण के लिये अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलान्टगण प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र विचाराधीन है, जिससे अपीलान्टगण प्रार्थीगण की ओर से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील सारहीन होने से स्वीकार योग्य नही है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्टगण प्रार्थीगण अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अरनोद के प्रकरण संख्या 29/2021 प्रार्थना पत्र मे पारित निर्णय व आदेश दिनांक 03.08.2022 यथावत रखे जाते है।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब लौटाई जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)
चित्तौड़गढ